न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिंह खंगारोत, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः– 227 / 2024

प्रार्थीगणः:–

पार्टी संख्या 1

1. हड़मतसिंह के कायम मुकामः–

1/1 रतनसिंह पुत्र हड़मतसिंह

1/2 अर्जुनसिंह पुत्र हड़मतसिंह

1/3 भगवतसिंह पुत्र हड़मतसिंह

1/4 चन्द्रकंवर पुत्री हड़मतसिंह

सभी जातियान राजपूत निवासी लूदराडा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

पार्टी संख्या 2

1 गजेसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत निवासी लूदराड़ा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

—::बनाम::—

विप्रार्थीगणः:–

1. कानाराम पुत्र शंकरराम जाति मेघवाल निवासी लुदराड़ा
2. खमादेवी पत्नी लूम्बाराम जाति मेघवाल निवासी लुदराड़ा
3. खरताराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल निवासी लुदराड़ा
4. घेवरराम पुत्र शंकरराम जाति मेघवाल निवासी लुदराड़ा
5. तुलसी पत्नी लालाराम जाति मेघवाल निवासी लुदराड़ा
6. भंवरलाल पुत्र शंकरराम जाति मेघवाल निवासी लुदराड़ा
7. मपाराम पुत्र शंकरराम जाति मेघवाल निवासी लुदराड़ा
8. लेहरांदेवी पत्नी शंकरराम जाति मेघवाल निवासी लुदराड़ा
9. नाबालिंग विजाराम पुत्र लूम्बाराम सरंक्षक सरपरस्त माता खमादेवी पत्नी लुम्बाराम जाति मेघवाल निवासी लुदराड़ा
10. नाबलिंग हस्तीमल पुत्र लूम्बाराम सरंक्षक सरपरस्त माता खमादेवी पत्नी लुम्बाराम जाति मेघवाल निवासी लुदराड़ा

पार्टी संख्या 2

11. जोगाराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी सिवाना जिला बालोतरा
12. ढेलादेवी पत्नी नारायणराम जाति मेघवाल निवासी सिवाना जिला बालोतरा
13. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
14. बैंक मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया श[illegible] तहसील समदड़ी
15. बैंक मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा [illegible]सर तहसील सिवसाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:48:07 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः—1. श्री महावीरसिंह व श्री हुकमसिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. श्री पूनमचन्द रामदेव अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 11 व 12

3 विप्रार्थी संख्या 1 से 10 व 13 से 15 अनुपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

::आदेश::

दिनांकः—12.02.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ख.सं. 598/29,601/30,597/29 व 600/30 रकबा क्रमशः 1.7027, 0.2671, 1.1140 व 0.2671 हैक्टेयर भूमि ग्राम लूदराड़ा तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की बदिशा दक्षिण की ओर विप्रार्थी संख्या 1 से 12 खातेदारी भूमि खसरा संख्या 31 व 33 के पश्चिमी सेढ़े—सेढ़े होते 15 फीट चौडा कटाण रास्ता खसरा संख्या 35 लूदराड़ा से अर्जियाणा जाने वाली डामर सडक तक जाता है। प्रार्थीगण को अपने खेत से आवागमन हेतु, जो आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शाया गया है, विप्रार्थी सं. 1 से 12 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थीगण के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थीगण बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाता ले जाता है। विप्रार्थी संख्या 1 से 12 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थीगण के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 से 12 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 व 13 से 15 के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विप्रार्थी संख्या 11 व 12 की ओर से अधिवक्ता श्री पूनमचन्द रामदेव उपस्थित होकर जवाब पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:48:07 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 से 12 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

वकील प्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण की मौजा लूदराडा तहसील सिवाना अवस्थित खातेदारी भूमि ख.सं 598/29,601/30,597/29 व 600/30 में आवागमन हेतु विप्रार्थी सं. 1 से 12 की खातेदारी भूमि ख.सं. 31 की बदिशा दक्षिण पर कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता ही इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थीगण का परिवार पीढ़ियों से आवागमन करता आ रहा है। उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः रास्ते में प्रस्तावित भूमि, सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थीगण रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 1 से 12 को देने हेतु सहमत है।

विप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित बरंग लाल रास्ता गलत दर्शाया गया है विप्रार्थी के खातेदारी भूमि में कभी कोई रास्ता चलयमान नहीं रहा है,अपितु मौके पर प्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 598/29 व खसरा संख्या 601/30 के पूर्वी माठ की ओर से होता हुआ विप्रार्थीसंख्या 1 ता 10 के खेत खसरा संख्या 32 व खसरा संख्या 390/38 व खसरा संख्या 33 की तरफ पश्चिमी माठ–माठ होता हुआ गै.मु.रास्ता से मिलता है। खसरा संख्या 33 तक प्रार्थीगण का रास्ता चलयमान है, विप्रार्थी के खसरे के पश्चिमी माठ पर सिंचाई के नलकूप, विधुत कनेक्शन व बिजलीघर बना हआ है तथा पूर्वी माठ पर विप्रार्थीगण के आवासीय मकान व पानी का टांका तथा पशुओं के बाड़े व तारबन्दी तथा स्नानाघर व शौचालय आदि बने हुए है। प्रार्थीगण विप्रार्थी संख्या1 से 10 के खेतो के तरफ पश्चिमी माठ–माठ होकर ही आवागमन करते है। प्रार्थीगण विप्रार्थी संख्या 1 से 10 के खसरा संख्या 32 व 33 के तरफ पश्चिमी माठ–माठ होकर गै.मु. रास्ता अर्जियाणा से लूदराडा तक आवगमन करते है,प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिसे विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब के संलग्न परिशिष्ट ''क'' में बरंग पीला द्वारा दर्शित किया गया है, प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र खारिज योग्य होने से मय हर्जाना खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:48:07 IST
Reason: SelfAttested

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम लूदराडा के खसरा संख्या 598/29, 601/30, 597/29 व 600/30 (नवीन खसरा संख्या 65, 67, 68, 69) में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 33 व 31 (नवीन खसरा संख्या 71 व 74) मे चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 71 के पश्चिमी माठ पर बिजली का ट्रांसफार्मर व टयूबवेल स्थित है तथा यह रास्ता पूर्व से प्रचलन में नही रहा है प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा सख्या 68 में आवागमन हेतु मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''ब'' में दर्शित बरंग गुलाबी निकटतम व लघुत्तम रास्ता है, उक्त रास्ता हेतु प्रभावित भूमि की लम्बाई 120 मीटर व चौडाई 4 मीटर है कुल रकबा 0.0480 वर्गमीटर अर्थात 0.0480 हैक्टेयर है तथा प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते हेतु प्रभावित भूमि के क्षतिपूर्ति के रूप में विप्रार्थीगण को राशि देने हेतु सहमत है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम लूदराडा तहसील सिवाना की ख.सं. 68 में आवागमन हेतु विप्रार्थी सं. 11 व 12 की खातेदारी भूमि ख.सं. 71 मे से लम्बाई 120 मीटर चौडाई 4 मीटर कुल रकबा 0.0480 हैक्टेयर में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग गुलाबी से दर्शित भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में तहसीलदार सिवाना द्वारा रास्ते हेतु प्रभावित रकबे की गणना के पश्चात डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि विप्रार्थीगण दी जावे, विप्रार्थीगण द्वारा राशि लेने से इन्कार करने की स्थिति उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये [illegible]क–राजस्व/2026/37 दिनांक 07.01.2026 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा [illegible] आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 12.02.2026 को सरे [illegible]लास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:48:07 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते

परिशिष्ट ब

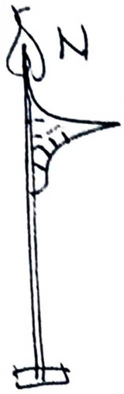

आंशिक भू-नक्शा फोटो कॉपी

ग्राम - लुदराड़ा

पटवार - मण्डल - मटिलावास

तहसील - सिवाना जिला बालोतरा

बिना पैमाना

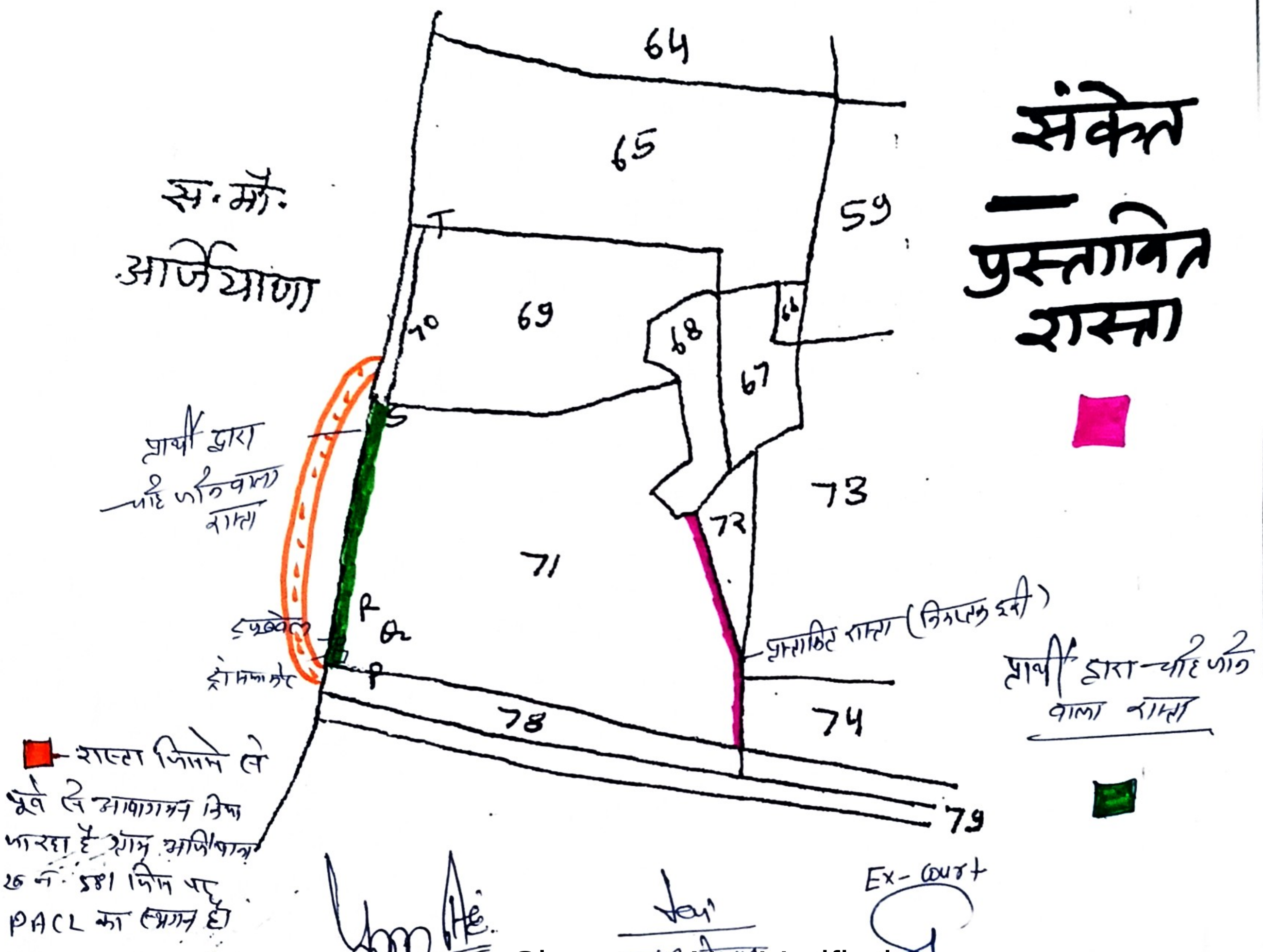

16/10/2025

पटवारी मटिलावास

Ex-court

उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot

Date: 2026.04.03 14:48:07 IST

Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner